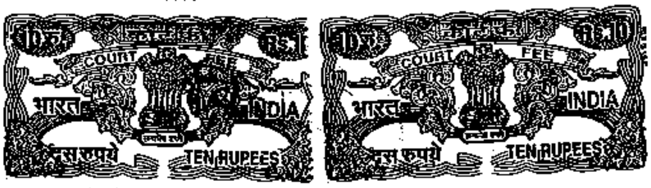

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर मोतीमहल ग्वालियर विविध– 9108– II–16

प्रकरण क्रमांक / 2016 विविध

1. परमानंद मिश्रा तनय स्व. कृष्णकांत मिश्र निवासी ग्राम खम्हारी तहसील मनगवां जिला रीवा म.प्र.
2. सतीश मिश्रा तनय स्व. श्री कृष्णकांत मिश्रा निवासी ग्राम खैरा पोस्ट गोरगांव तहसील रामपुर फर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.
3. राधागोविन्द मिश्रा तनय स्व. कृष्णकांत मिश्रा
निवासीगण – ग्राम खम्हारी तहसील मनगंवा जिला रीवा म.प्र.

...... आवेदकगण

बनाम

कमाल अहमद तनय हाजी मजहरूल हक निवासी वार्ड क्रमांक 8 मनगवां बस्ती तहसील मनगवां जिला रीवा म.प्र.

...... अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. एवं धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता ।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (श्री एम.के. सिंह) प्रकरण क्रमांक 1556/11/16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 में संशोधन किए जाने बाबत

श्रीमानजी,

निवेदन है कि आवेदक की ओर से आदेश में संशोधन किये जाने बाबत आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9108–दो/16 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
5.7.16	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर धारा धारा 152, 153 सी.पी.सी. एवं धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 1556–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 20.5.16 में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण संशोधन किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आदेश की तीसरी लाईन में ग्राम का नाम त्रुटिवश बम्हौरी हो गया है जबकि वास्तविक ग्राम खम्हारी है । उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27.4.16 के स्थान पर 24.7.16 हो गया है । अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश 27.4.16 किया जावे। 3– प्रस्तुत आवेदक अधिवक्ता के आवेदन अनुसार उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश की लाईन 3 में बम्हौरी के स्थान पर ग्राम खम्हारी पढ़ा जावे। इसी प्रकार अपर आयुक्त रीवा का आदेश 24.7.16 के स्थान पर 27.4.16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	